

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9719/2016-17/94

दिनांक 19.9.16

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा -
ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति -

विषय:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सत्र 2015-16 हेतु पुनर्भरण की द्वितीय किस्त की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आवंटन।


विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त सत्र 2015-16 में पुनर्भरण की द्वितीय किस्त का निर्देशानुसार विभिन्न लेखामदों में राशि का आवंटन निम्नानुसार किया जा रहा है।

क्र. सं.	बजट मद	ऑफिस आईडी	बीईईओ कार्यालय का नाम	सत्र 2015-16 में वंचित के लिए आवंटित राशि रूपयों में
1	2202-01-800-14-00-57 (आयोजना व्यय)	1483	भोपालगढ(जोधपुर)	297939
2	2202-01-789-04-00-57 (आयोजना व्यय)	1460	अनूपगढ(श्रीगंगानगर)	203300
3	2202-01-796-11-00-57 (आयोजना व्यय)	1691	रेलमगरा(राजसमंद)	967943
	योग			1469182

(रूपये चौदह लाख उनहत्तर हजार एक सौ बयासी मात्र)


आवंटित राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।


वरिष्ठ लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय।
4. सहायक निदेशक, आरटीई अनुभाग।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ लेखाधिकारी

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9907(2)/2016-17/286 दिनांक:- 19/9/16

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति-घाटोल (बांसवाडा)

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01)-उ.प्रा.वि. (बालक), [01]-स्थापना व्यय, 04-चिकित्सा व्यय (आयोजना भिन्न व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निम्नानुसार कार्यालयों को सामान्य/गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।


क्र.स.	IFMS UID CODE	बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	1661	घाटोल (बांसवाडा)	55000	श्री रूपचन्द डिन्डोर अ. राउप्रावि मिया का पाडला के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	55000	

(अंके रूपये पचपन हजार मात्र)

इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/बजट/बी-5/9907(5)/2015-16/44 दिनांक 03.12.2015 द्वारा आवंटित राशि के विरुद्ध कर्मचारी को वित्तीय वर्ष 2015-16 में भुगतान नहीं किये जाने के कारण उक्त राशि का आवंटन किया गया है।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।


वरिष्ठ लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ लेखाधिकारी